

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 466 / 2014 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग,
वार्ड-प्रथम, वृत डी, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रैन बैकसी लेबोरोट्रीज लि.,
90-92, नेमीनगर, गोधीपथ, वैशाली नगर,
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता
श्री संदीप सोगानी,
अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09 / 03 / 2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, वृत-डी, जयपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 के अन्तर्गत धारा 76(6) के तहत कायम मांग राशि रूपये 1,12,008/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2012 को वाहन संख्या यू.पी.ए.एल./9261 को देहली बाईपास रोड पर चैक किया गया। वाहन में लदे माल प्लास्टिक बोतल के संबंध में वाहन चालक/माप्रभारी श्री ब्रह्मपाल से दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स श्री विनेर एम्पायर पलिस्टक लि., देहरादून का इन्वॉयस नम्बर 13400664 दिनांक 25.10.2012 व श्री एम. बी. लोजिस्टक, हरिद्वार की बिल्टी संख्या 008 दिनांक 25.10.2012 पेश की गई। दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि परिवहनित माल के साथ वैट-47 संलग्न नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे करापवंचन मानते हुए धारा 76(2)(बी) संपर्कित नियम 53 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 76(6) के तहत माल कीमतन रूपये 3,73,360/- पर 30

प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 1,12,008/- आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 1,12,008/- को अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की, जिससे व्यक्ति होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के ओर से श्री संदीप सोगानी अभिभाषक उपस्थित।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम डी.पी.मेटल्स (2001) 124 एसटीसी 611 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रथम कारण बताओं नोटिस के प्रतिउत्तर के साथ फार्म वैट-47 भरकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था, वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज साथ में संलग्न थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के साथ संलग्न दस्तावेजों को मिथ्या अथवा कूटरिचित नहीं माना गया है केवल मात्र माल के साथ वक्त चैकिंग वैट-47 साथ में नहीं पाये जाने पर प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है, जो सही नहीं है, चूंकि परिवहनित माल पैकिंग मैट्रियल है, जिसके साथ वैट-47 होना आवश्यक नहीं है, जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सिएरा टैक इंडिया बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिवाड़ी टैक्स अपडेट 35 पार्ट 2 पेज 49 आदेश दिनांक 07.01.2013 में अभिनिर्धारित किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एसटीसी 611 की पालना कर दी गयी है अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टान्त एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 02 आजीएसटीआर-डी-298 एवं (2013) 35 टीयूडी 49 से आच्छादित होने के कारण आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। शास्ति आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों के संबंध में कोई संशय प्रकट नहीं किया है

व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र वेट 47 संख्या 1748351 भरकर प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 02 आरजीएसटीआर-डी-298 निर्णय दिनांक 26.0.10.2010 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :-

"-----since declaration form ST-18C has been produced along with reply to show cause notice before the Assessing Authority, therefore, in view of the judgment of the Hon'ble Apex Court and this court, the penalty is liable to be set aside and the same was set aside.

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 214 / 2008 निर्णय दिनांक 29.03.2011 वाणिज्यिक कर अधिकारी वैक्पोस्ट शाहजहांपुर अलवर बनाम जेएलसी इलेक्ट्रोमोटेर प्रा.लि. में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि :-

"-----on the factual matrix also, this court is satisfied that no penalty could be imposed on the respondent-assessee for the alleged breach of the Rule 53 even if one were to conclude that such a requirement was there in law for the assessee to furnish these declarations. In D.P. Metal's case (supra), the Hon'ble Apex Court in para 30 delineated the need of providing opportunity to the assessee in such cases in compliance with the principles of natural justice, where declarations were found to be deficient or absent."

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 190 / 2012 मैरसर्स Cera Tech India बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी (2013) 35 टीयूडी 49 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2013 का सम्मान अध्ययन किया गया।

"-----The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficient/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2) (b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT 47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2) (b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम टाटा आयरन एण्ड कंपनी लि. 35 टीयूडी 249 (2013) में निम्न प्रकार निर्णीत किया गया है :—

"-----It is clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति उचित नहीं होने के फलस्वरूप विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.10.2013 की पुष्टि करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित गया।


(मदन लाल) 2016
सदस्य